राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

दिनांक :

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी- 450/एनटीटी/2001/ 1607

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

वीरांगना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इडोन बाग, हरबर्टपुर, देहरादून-248142 , उत्तरांचल ने एनटीटी पाठ्यक्रम सत्र 2001-2002 से
प्रारंभ करने की मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 10.11.2000 को प्राप्त हुआ ।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संस्था को अपने पत्र दिनांक 24.06.2000 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया था । संस्था के प्रस्तावित एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 28 फरवरी, 2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे । उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एनटीटी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ है तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए ।

1. परिषद् मानदंडानुसार शैक्षिक, तकनीकि एवं प्रशासनिक स्टॉफ की कमी है ।
2. हॉस्टल की कमी है ।
3. परिषद् मानदंडानुसार कक्षा-कक्ष-4, बहुउद्देशीय-1, लर्निंग संदर्भ केन्द्र-1, अध्यापक कक्ष-1, कार्यालय कक्ष-1, स्टॉफ रूम-1, कामन रूम-1 की कमी है ।
4. स्वतंत्र भवन होने की कमी है ।
5. भवन के वैधानिक दस्तावेज संस्था के नाम होने की कमी है ।
6. पुस्तकालय हेतु 940 पुस्तकें एवं 5 शैक्षिक जरनल की कमी है ।
7. शैक्षिक तकनीकि लैब, विज्ञान लैब मनोविज्ञान लैब एवं उनके उपकरणों की कमी है ।
8. फर्नीचर की कमी है ।
9. सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है ।
10. 4.50 लाख रुपये की अक्षय निधि में कमी है ।
11. खेल मैदान की कमी है ।
12. पाठ्यक्रम निर्धारण की कमी है ।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-450/2001/923 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 19.6.2001 के द्वारा दिया गया था । संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए । समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि वीरांगना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इडोन बाग, हरबर्टपुर, देहरादून-248142 , उत्तरांचल के प्रस्तावित एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए ।

1. परिषद् मानदंड 2.1 एवं 2.2 के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशासनिक स्टॉफ की कमी है ।
2. संस्था के पास छात्रावास हेतु हॉस्टल की कमी है ।
3. परिषद् मानदंडानुसार बहुउद्देशीय हॉल-1, लर्निंग संदर्भ केन्द्र-1, अध्यापक कक्ष-1, कार्यालय कक्ष-1, स्टॉफ रूम-1, एवं कामन रूम-1 की कमी है ।
4. संस्था के नाम वैधानिक भूमि की कमी है ।
5. संस्था के पास स्वयं का स्वतंत्र भवन होने की कमी यथावत है ।
6. 5 शैक्षिक जरनल की कमी है ।

6

C:\My Documents\Bansal.doc\:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org